भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

***

निजी एफएम रेडियो - बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न सं.1. निजी एफएम रेडियो प्रसारण के चरण-III की शुरुआत करने की क्या आवश्यकता है?

उत्तर: निजी एफएम नीति में मुख्य ध्यान मीडियम वेब (एमडब्ल्यू) से फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेटेड (एफएम) बेव की ओर स्थानांतरित हो गया था। रेडियो स्टेशनों में कार्यक्रम की विषय-वस्तु में सुधार लाने, व्यापक विकल्प के कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने, प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार लाने, तकनीकी विशेषताओं का विस्तार करने, पुराने और अप्रचलित उपस्करों का नवीकरण करने तथा नई सुविधाओं को शामिल करने की योजना बनाई गई थी।

एफएम चरण-I नीति को सरकार द्वारा जुलाई, 1999 में अनुमोदित किया गया था। एफएम चरण-I नीति खुले विकल्प के जरिए सफल बोलीदाताओं का चयन करने के लिए तैयार की गई थी। चरण-I नीति को सीमित सफलता मिली। इस स्कीम के अंतर्गत 12 शहरों में कुल 21 चैनल प्रचालित हैं।

उन्नत एफएम चरण-II नीति को डॉ. अमित मित्रा समिति और ट्राई की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात जुलाई, 2005 में अधिसूचित किया गया था। एफएम चरण-II नीति को सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया गया है। इसके कारण एफएम रेडियो उद्योग में व्यापक विकास हुआ है। तथापि, अनेक शहरों को निजी एफएम रेडियो प्रसारण द्वारा अभी भी कवर नहीं किया जा सका है।

चरण-III नीति को लागू करके निजी एफएम रेडियो प्रसारण का और अधिक विस्तार करने के कारण निम्नानुसार हैं:-

(i) एफएम चरण-II नीति को बहुत अधिक पसंद किया गया है और इसके परिणामस्वरूप एफएम रेडियो उद्योग में व्यापक वृद्धि हुई है जिससे रोजगार सृजन के नए क्षेत्र खुले हैं।

(ii) अनेक शहरों, जिन्हें निजी एफएम रेडियो प्रसारण द्वारा अभी भी कवर नहीं किया जा सका है, में एफएम रेडियो की एक बड़ी अपूरित मांग विद्यमान

है क्योंकि राज्यों की राजधानियों के अतिरिक्त, तीन लाख और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले सीमित शहरों को ही एफएम रेडियो प्रसारण के पहले दो चरणों के दौरान बोली प्रक्रिया हेतु शामिल किया गया था।

(iii) विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप समूह क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्र एफएम के नक्शे से लुप्त हैं। यहां तक कि ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया था, के लिए भी अल्प व्यवहार्यता के कारण बोलीदाता नहीं मिल सके थे। लोगों को भारतीय रेडियो चैनल सुनने हेतु आकर्षित करने तथा सीमा-पार से होने वाले दुष्प्रचार को रोकने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रोत्साहनों के साथ निजी एफएम रेडियो को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसी तरह के प्रोत्साहन द्वीप समूह क्षेत्रों को दिए जाने अपेक्षित हैं।

(iv) चरण-II से 97 रिक्त चैनल हैं जिनकी विभिन्न कारणों से नीलामी नहीं की जा सकी थी।

(v) सरकार के लिए एफएम प्रसारण हेतु उद्दिष्ट आवृत्ति स्पेक्ट्रम के और अधिक उपयोग तथा अतिरिक्त राजस्व सृजन की संभावना है।

प्रश्न सं.2 . चरण-III एफएम नीति में ई-नीलामी के लिए कितने चैनल उपलब्ध हैं?

उत्तर: एफएम चरण-III नीति 294 शहरों में कुल 839 नए एफएम रेडियो चैनलों सहित मौजूदा 86 शहरों के अलावा लगभग 227 नए शहरों के लिए एफएम रेडियो सेवाओं का विस्तार करती है। चरण-III नीति के परिणामस्वरूप एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहर निजी एफएम रेडियो चैनलों द्वारा कवर होंगे।

प्रश्न सं.3 चरण-III के लिए अनुमोदित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर: चरण-III के लिए अनुमोदित नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) रेडियो प्रचालकों को केवल अपरिवर्तित रूप में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करने की अनुमति दी गई है।

(ii) कतिपय श्रेणियों से संबंधित प्रसारणों जैसे कि खेलकूद से संबंधित कार्यक्रमों, यातायात और मौसम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समारोहों की कवरेज, परीक्षाओं, परिणामों, दाखिलों, कैरियर काउंसलिंग से संबंधित विषयों की कवरेज, रोजगार अवसरों की उपलब्धता, स्थानीय प्रशासन द्वारा

नागरिक सुविधाओं जैसे कि बिजली, जल-आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों आदि के संबंध में उपलब्ध कराई गई सार्वजनिक उदघोषणाओं से संबंधित सूचना को गैर-समाचार और समसामयिक विषयक प्रसारण माना जाएगा और इसलिए ऐसे प्रसारण अनुमत्य होंगे।

(iii) निजी प्रचालकों को एक से अधिक चैनलों के स्वामित्व की मंजूरी दी गई है लेकिन यह अनुमति शहर में न्यूनतम तीन अलग-अलग प्रचालकों की शर्त के अध्यधीन एक शहर में कुल चैनलों की संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) लाइसेंस शुल्क एक शहर के लिए सकल राजस्व (जीआर) के 4 प्रतिशत के रूप में अथवा बोली मूल्य के 2.5 प्रतिशत के रूप में, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया जाएगा।

(v) निजी एफएम रेडियो प्रसारण वाली कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है।

(vi) मौजूदा अनुमति-प्राप्त क्षेत्र के केवल 'ग' और 'घ' श्रेणी वाले शहरों के बजाए संपूर्ण देश में एक निजी एफएम प्रसारक के अपने नेटवर्क के भीतर चैनलों की नेटवर्किंग अनुमत्य होगी।

(vii) निजी एफएम प्रसारकों को एलओआई जारी होने के 3 माह की अवधि के भीतर सीटीआई के निर्माण हेतु बेसिल के अलावा किसी भी एजेंसी का चयन करने का विकल्प प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है जिसके स्वीकार न किए जाने की स्थिति में बेसिल स्वत: ही प्रणाली समाकलक बन जाएगा और सह-अवस्थिति सुविधाएं और सीटीआई की स्थापना करेगा।

प्रश्न सं.4. एफएम रेडियो चैनल की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड क्या हैं?

उत्तर: एफएम रेडियो चैनलों के लिए बोली लगाने और अनुमति प्राप्त करने हेतु केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां ही पात्र हैं। तथापि, निम्न प्रकार की कंपनियां आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं:

(क) भारत में निगमित न की गई कंपनियां।

(ख) कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होती है जिसे नैतिक भ्रष्टता या धन के अवैध लेन-देन/नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, आतंकी गतिविधियों से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी करार दिया गया हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा ऐसी कंपनी जिसने दिवालिया घोषित किए जाने हेतु आवेदन किया हो;

(ग) कोई ऐसी कंपनी जो किसी न्यास, सोसायटी अथवा गैर-लाभकारी संगठन की सहचर हो अथवा उसके द्वारा नियंत्रित हो;

(घ) किसी धार्मिक निकाय द्वारा नियंत्रित अथवा सहयोजित कोई कंपनी;

(ङ) किसी राजनीतिक निकाय द्वारा नियंत्रित अथवा सहयोजित कोई कंपनी;

(च) कोई भी ऐसी कंपनी जो एक विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही हो अथवा जो किसी विज्ञापन एजेंसी की सहचर हो अथवा किसी विज्ञापन एजेंसी अथवा विज्ञापन एजेंसी के साथ सहयोजित किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो;

(छ) एक ही शहर में किसी आवेदक की सहायक कंपनी;

(ज) एक ही शहर में किसी आवेदक की नियंत्रक कंपनी;

(झ) एक ही शहर में किसी आवेदक की कंपनी के प्रबंधन के समान प्रबंधन वाली कंपनियां;

(ञ) एक ही शहर में एक से अधिक अंतर-संबद्ध उपक्रम;

(ट) ऐसी कंपनी जिसे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया हो अथवा उसकी नियंत्रक कंपनी अथवा सहायक कंपनी अथवा समान प्रबंधन वाली कोई कंपनी अथवा एक अंतर-संबद्ध उपक्रम;

(ठ) चरण-I एवं चरण-II के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के चूककर्ता जिन्होंने अपने आशय-पत्रों/लाइसेंस करारों/बैंक गारंटियों के प्रतिसंहरण का विरोध किया हो और इस प्रकार उन्हें किसी भावी बोली प्रक्रिया में भाग लेने से सतत रूप से रोका गया हो।

प्रश्न सं.5. एफएम रेडियो चैनलों की मंजूरी के लिए आवेदन करने हेतु वित्तीय सक्षमताएं क्या हैं?

उत्तर: प्रत्येक आवेदक कंपनी की वित्तीय पात्रता का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा:-

प्रत्येक क्षेत्र में शहर की श्रेणी के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम निवल मूल्य:

'घ' श्रेणी के शहर और		
1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर	:	50 लाख रु.
'ग' श्रेणी के शहर	:	1 करोड़ रु.
'ख' श्रेणी के शहर	:	2 करोड़ रु.
'क' श्रेणी के शहर	:	3 करोड़ रु.
क+ श्रेणी के शहर	:	3 करोड़ रु.
सभी क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के शहर	:	10 करोड़ रु.

प्रश्न सं. 6. निजी एफएम रेडियो के चरण- III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति की अवधि क्या है?

उत्तर: कतिपय शर्तों के अध्यधीन जब तक कि सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रचालन के लिए समय-सीमा को बढ़ाया न गया हो, जिसमें अनुमति-अवधि की प्रभावी तारीख इस तरह निर्धारित अंतिम तारीख होगी, तब तक यह अनुमति चैनल के प्रचालन की तारीख से पन्द्रह (15) वर्षों की अवधि के लिए या प्रचालन के लिए निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।

यह अनुमति मुख्य कैरियर और उप करियर संबंधी डाटा पर फ्री-टु-एयर प्रसारण के लिए होगी।

जब तक कि किसी अनुमति को पूर्व में निरस्त अथवा रद्द न किया गया हो, तब तक उसमें कोई विस्तर नहीं किया जाएगा और यह अनुमति पूर्वोक्त पन्द्रह वर्षों की अवधि के अंत में स्वत: ही समाप्त हो जाएगी और इसके बाद अनुमति धारक को अनुमति की तारीख की समाप्ति के पश्चात चैनल को प्रचालित करने के किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं होंगे। सरकार उपयुक्त समय पर नई अनुमतियां जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

प्रश्न सं.7 एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: चैनलों के लिए अनुमति अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) अर्थात **सफल बोली राशि** के आधार पर प्रदान की जाएगी जिसे 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी में दूरसंचार विभाग द्वारा अनुसरित प्रक्रिया की तर्ज पर आरोही

ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिए आवश्यक परिवर्तन सहित पृथक रूप से अधिसूचित किए जाने वाले ब्यौरे के अनुसार प्राप्त किया जाएगा। चरण-III में चैनलों के लिए की जाने वाली ई-नीलामी बैचों में आयोजित की जाएगी। यह नीलामी भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भावी बोलीदाताओं को भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए तथा प्रत्येक बैच में शामिल किए जाने वाले शहरों और साथ ही उनके अपने-अपने आरक्षित मूल्यों को दर्शाते हुए यथासमय पृथक रूप से एक विस्तृत सूचना ज्ञापन जारी करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक नोटिस भी जारी करेगा जिसमें नीलामी (नीलामियों) (नोटिस) में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। नोटिस में निर्दिष्ट उपबंध (अथवा कोई अन्य अनुप्रयोज्य कानून, विनियम या अन्य सांविधिक उपबंध) निर्णायक स्वरूप के हैं और उन्हें वरीयता दी जाती है।

चरण-III के अंतर्गत प्रत्येक बैच में चैनलों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आरोही ई-नीलामी प्रक्रिया में चार चरण होंगे। चरण-I आमंत्रण चरण होगा जिसमें भावी बोलीदाता अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदनों की जांच, स्वामित्व के प्रकाशन संबंधी विवरण और पूर्व-अर्हता परीक्षण का कार्य चरण-II अर्थात पूर्व-अर्हता चरण में किया जाएगा। केवल पैरा 2 में दिए गए निर्धारित पात्रता संबंधी मापदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों को ही विभिन्न शहरों के विशिष्ट चैनलों हेतु बोली लगाने के लिए नीलामी चरण (चरण-III) में आमंत्रित किया जाएगा। चरण-IV अनुमति का चरण होगा जिसमें संगत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन विजित बोली राशि का भुगतान किया जाएगा तथा आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा अनुमति धारकों को नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र बनने के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी मापदंडों को भी पूरा करना होगा।

नीलामी शहर-वार की जाएगी तथा प्रत्येक बैच में प्रत्येक शहर के लिए प्रति चैनल शामिल स्वीकार किए जाने वाला आरक्षित मूल्य सार्वजनिक रूप से निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाता प्रत्येक चैनल के लिए उस शहर हेतु चैनलों के स्वामित्व पर निर्धारित सीमा के भीतर प्रत्येक शहर में चैनल (चैनलों) के लिए बोली लगा सकता है।

प्रश्न सं. 8. पेशगी धनराशि और आवेदन प्रक्रमण शुल्क कितना होगा ?

उत्तर: भावी बोलीदाताओं से किसी एक चैनल के लिए किसी अनुसूचित बैंक से लिए गए बैंक गारंटी फार्म (मंत्रालय द्वारा विर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार) में पूर्व-अर्हता हेतु आवेदन सहित पेशगी धनराशि जमा कराना अपेक्षित होगा जोकि प्रति चैनल उस शहर के लिए आरक्षित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि होगी। पेशगी धनराशि (ईएमडी) की आवश्यकता बोलियों की प्रगति के आधार पर अलग-अलग होगी। ईएमडी की आवश्यकता तथा उसके आधार पर किसी बोलीदाता की पात्रता का निर्धारण करने से संबंधित अंतिम ब्यौरा सूचना ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और एनआईए पृथक रूप से जारी किया जाएगा।

आवेदक को 25,000/-रु. के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा जोकि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वेतन और लेखा कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को देय होगी।

प्रश्न सं.9. चरण-III नीति के अंतर्गत आरक्षित मूल्य किस प्रकार नियत किया जाएगा?

उत्तर: मौजूदा एफएम-II शहरों में नए चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य चरण-II में उस शहर के लिए प्राप्त उच्चतम बोली मूल्य होगा। ऐसे शहरों में जिन्हें नए सिरे से शामिल किया जा रहा है, आरक्षित मूल्य एफएम चरण-II के दौरान उस क्षेत्र में उस श्रेणी के शहरों के लिए प्राप्त उच्चतम बोली मूल्य होगा। ऐसी स्थिति में जब चरण-II से किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई कसौटी उपलब्ध न हो, तब उस श्रेणी के शहरों के लिए अन्य क्षेत्रों में प्राप्त अधिकतम बोली की न्यूनतम राशि को आरक्षित मूल्य के रूप में लिया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे नए शहरों के लिए, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है, आरक्षित मूल्य पांच लाख रु. होगा।

प्रश्न सं. 10. एफएम चरण-III नीति के प्रयोजनार्थ भुगतान संबंधी विधिप्रणाली क्या हैं?

उत्तर: सफल बोलीदाता नीलामी बंद होने के 5 कैलेंडर दिवसों के भीतर बोली जमाराशि के रूप में सफल बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करेंगे, ऐसा न करने पर पेशगी धनराशि जब्त मानी जाएगी।

सफल बोलीदाता शेष राशि (सफल बोली राशि घटा बोली जमाराशि) को नीलामी बंद होने के 15 कैलेंडर दिवसों के भीतर जमा कर देंगे, ऐसा न करने पर पेशगी धनराशि और उसकी बोली जमाराशि जब्त मानी जाएगी।

प्रश्न सं.11. एसएसीएफए अनापत्ति और आवृत्ति आवंटन क्या है?

उत्तरः **"एसएसीएफए"** का आशय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध की "रेडियो आवृत्ति आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति" से होगा।

"आवृत्ति आबंटन" का आशय दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध द्वारा यथा प्रदत्त किसी विशेष एफएम चैनल के लिए संबद्ध तकनीकी पैरामीटरों जैसे कि आरएफ पावर, बैंडविड्थ आदि सहित विशिष्ट रेडियो आवृत्ति (आरएफ) कैरियर से होगा।

प्रश्न सं. 12. पात्रता शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर क्या शास्ति है?

उत्तरः किसी आशय-पत्र धारक द्वारा अनुमति मंजूरी करार संबंधी पात्रता शर्तों का अनुपालन न करने अथवा निर्धारित अवधि के भीतर अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में कोई और नोटिस दिए बिना बोली राशि की संपूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और आशय-पत्र तथा आवृत्ति का आबंटन, यदि कोई हो, उसे निरस्त माना जाएगा।

प्रश्न सं.13. विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

क्र.सं.	क्रियाकलाप	आशय-पत्र जारी होने की तारीख से कार्य पूरा होने तक की अवधि				
		ऐसे शहरों के लिए जहां चरण-II का रिक्त चैनल या चरण-II के शहर में अतिरिक्त चैनल या सीटीआई सृजित	ऐसे शहरों (पैरा 5.1.1) के अंतर्गत कवर किए गए शहरों के अलावा) के लिए जहां पीबीएलटीआई उपलब्ध है (पैरा 5.1.2 का संदर्भ लें)	ऐसे शहरों (पैरा 5.1.1 और 5.1.2 के अंतर्गत कवर किए गए शहरों के अलावा) जहां पीबी के अलावा उपयुक्त एलटीआई उपलब्ध है	ऐसे शहरों के लिए जहां कोई उपयुक्त एलटीआई तत्काल उपलब्ध नहीं है [पैरा 5.1.3 (ii) का संदर्भ लें]	अभ्युक्तियां

		किया गया था (पैरा 5.1.1 का संदर्भ लें)		[पैरा 5.1.3 (i) का संदर्भ लें]		
1.	करार पर हस्ताक्षर करना और एलटीआई प्रदाता को भुगतान करना	60 दिन	90 दिन	120दिन	150 दिन	
2.	परस्पर सहमत सीटीआई सृजक की नियुक्ति, करार पर हस्ताक्षर करना और भुगतान करना	90 दिन	90 दिन (x) (120 दिन) (+)	90 दिन (x) (120 दिन) (+)	90 दिन(x) (120 दिन) (+)	(x)एवं (+) कृपया नीचे एनबी देखें।
3.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ गोपा पर हस्ताक्षर करना	6 माह	6 माह	9 माह	10 माह	
4.	सीटीआई का सृजन	12 माह	12 माह	18 माह	24 माह	
5.	एफएम चैनल का प्रचालन	12 माह	18 माह	18 माह	24 माह	
(x) **एनबी.** यदि किसी शहर के आशय-पत्र धारक सीटीआई समाकलक की नियुक्ति पर परस्पर						

सहमत नहीं होते हैं, करार नहीं करते हैं और आशय-पत्र जारी होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर समाकलक को सीटीआई संबंधी अपने शेयर का भुगतान नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेसिल को उनके सीटीआई समाकलक के रूप में स्वत: ही अधिदेश प्राप्त हो जाएगा और (+) के तहत यथा इंगित अवधियां बेसिल के साथ करार करने के लिए और बेसिल को सीटीआई सृजित करने के लिए प्रत्येक आशय-पत्र धारक के शेयर का आवश्यक भुगतान करने हेतु लागू होंगी।

प्रश्न सं.14. अनुमति धारकों के लिए वार्षिक शुल्क क्या है?

उत्तर: अनुमति धारक को भारत सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रति वर्ष अपने सकल राजस्व के 4% अथवा संबंधित शहर के लिए एनओटीईएफ के 2.5%, जो भी उच्चतर हो, की दर से प्रभारित वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों (अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) और जम्मू-कश्मीर (जे ऐंड के) तथा द्वीप समूह क्षेत्रों (अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप) के अनुमति धारकों को भारत सरकार को वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा। यह वार्षिक शुल्क वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय होने की तारीख से और 15 वर्षों की अनुमति अवधि प्रारंभ होने से लेकर शुरुआती तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के सकल राजस्व के 2 प्रतिशत अथवा संबंधित शहर के लिए एनओटीईएफ के 1.25 प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की दर से प्रभारित होगा। मौजूदा प्रचालकों को नए प्रचालकों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने हेतु सक्षम बनाने के लिए इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा प्रचालकों पर भी संशोधित शुल्क संरचना लागू होगी। मौजूदा प्रचालकों के लिए तीन वर्षों की अवधि इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख के पश्चात अगली तिमाही (पैरा 6.3 का संदर्भ लें) प्रारंभ होने के पहले दिन से गिनी जाएगी।

वार्षिक शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के पहले पखवाड़े के भीतर चार समान किश्तों में त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप में किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ चार तिमाहियां त्रिमासिक अवधियां होंगी जो क्रमश: 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्तूबर और 1 जनवरी को प्रारंभ होंगी।

प्रश्न सं. 15. किसी शहर में बहु-अनुमतियों पर क्या पाबंदियां हैं?

उत्तर: प्रत्येक आवेदक को शहर में न्यूनतम तीन विभिन्न प्रचालकों के अध्यधीन तथा इसके अतिरिक्त, चरण-III के नीतिगत दिशानिर्देशों के पैरा 8 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन एक शहर में कुल चैनलों की संख्या के 40% से अधिक चैनलों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, यदि 40 प्रतिशत का आंकड़ा दशमलव में है, तो उसे निकटतम पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

प्रश्न सं. 16. कोई संस्था कुल कितनी संख्या में आवृत्तियां रख सकती है?

उत्तर: किसी भी संस्था को जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप समूह क्षेत्रों में अवस्थित चैनलों को छोड़कर देश में आवंटित सभी चैनलों के 15 प्रतिशत से अधिक चैनल रखने की अनुमति नहीं होगी। जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप समूह क्षेत्रों में अवस्थित चैनलों के लिए पैरा 7 में यथा उल्लिखित केवल शहर-वार सीमाएं लागू होंगी।

टिप्पणी (1): किसी संस्था को आबंटित कुल चैनलों का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित श्रेणियों की कंपनियों को आवंटित चैनलों का एक साथ संगणन किया जाएगा:-

(क) किसी आवेदक/आबंटिती की सहायक कंपनी;
(ख) किसी आवेदक/आबंटिती के नियंत्रण वाली कंपनी;
(ग) आवेदक/आबंटिती के प्रबंधन की तरह समान प्रबंधन वाली कंपनियां;
(घ) आवेदक/आबंटिती के संबंध में एक से अधिक अंतर-संबद्ध उपक्रम।

टिप्पणी (2): मौजूदा लाइसेंस/अनुमति/आशय-पत्र धारकों के संबंध में उनके द्वारा पहले से धारित लाइसेंस (सों)/अनुमति(यों)/आशय-पत्र(ओं) पर भी 15 प्रतिशत की सीमा का परिकलन करने के लिए विचार किया जाएगा।

प्रश्न सं. 17. विदेशी निवेश की सीमा क्या है?

उत्तर: किसी कंपनी में पोर्टफोलियो और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवेदन के समय तथा लाइसेंस की स्वीकार्यता के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्रश्न सं.18. क्या एफएम चरण-III नीति के अंतर्गत समाचार और समसामयिक विषयक कार्यक्रमों की अनुमति है?

उत्तर: अनुमति धारक को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को बिल्कुल उसी फार्मेट (अपरिवर्तित) में ऐसे निबंधनों ओर शर्तों पर प्रसारित करने की अनुमति होगी जिन पर प्रसार भारती के साथ परस्पर सहमति हुई हो, उक्त नीति (चरण-III) के अंतर्गत कोई अन्य समाचार और समसामयिक विषयक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है।

निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित प्रसारण को गैर-समाचार और समसायमिक विषयक प्रसारण माना जाएगा और इसलिए वे अनुमत्य होंगे:

(क) सीधे प्रसारण को छोड़कर खेलकूद के कार्यक्रमों से संबंधित सूचना। तथापि, स्थानीय स्वरूप के खेलकूद संबंधी कार्यक्रमों के सीधे आंखों देखे हाल के प्रसारण की अनुमति दी जा सकती है;

(ख) यातायात और मौसम से संबंधित सूचना;

(ग) सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समारोहों से संबंधित सूचना और उनकी कवरेज;

(घ) परीक्षाओं, परिणामों, दाखिलों, कैरियर काउंसलिंग से संबंधित विषयों की कवरेज;

(ङ) रोजगार के अवसरों की उपलब्धता;

(च) स्थानीय प्रशासन द्वारा नागरिक सुविधाओं जैसे बिजली, जलापूर्ति तथा प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों आदि के संबंध में उपलब्ध करायी गई सार्वजनिक उदघोषणाएं;

(छ) ऐसी अन्य श्रेणियां जिन्हें वर्तमान में अनुमति नहीं दी गई है और जिन्हें बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से अनुमति दी जा सकती है।

प्रश्न सं.19. स्वीकृति प्राप्त चैनलों का प्रचालन न करने पर क्या शास्ति है?

उत्तर: प्रत्येक अनुमति धारक चरण-III के दिशानिर्देशों के पैरा 5 और पैरा 18 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर चैनल का प्रचालन शुरु कर देगा और उससे पूर्व के क्रियाकलापों को पूरा करना सुनिश्चित करेगा, ऐसा न करने पर अनुमति रद्द कर दी जाएगी और अनुमति धारक को ऐसे निरस्तीकरण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए समान शहर में किसी अन्य चैनल के आबंटन से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार जारी की गई आवृत्ति को प्रतीक्षा सूची के अगले उच्चतम बोलीदाता, यदि उपलब्ध और वैध हो, को आबंटित किया जा सकता है अथवा बाद की बोली प्रक्रिया द्वारा आबंटित किया जा सकता है। अनुमतिधारक को एक वर्ष के वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार को इसका पूरा अधिकार होगा कि वह इस शुल्क को पहले से जमा कराई गई कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी से वसूल कर सकेगी। सरकार को अदा किए गए अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क (ओटीईएफ) के संबंध में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि किसी कारणवश चैनल के प्रसारण को 365 दिनों की किसी सतत अवधि में निरंतर या आवधिक रूप से 180 दिनों से अधिक दिनों तक बंद रखा जाता है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुमति को निरस्त भी कर सकता है।

प्रश्न सं.20. क्या चरण-III नीति के अंतर्गत नेटवर्किंग की अनुमति है?

उत्तरः किसी संस्था को देश के भीतर उसके अपने नेटवर्क में अपने चैनलों के नेटवर्किंग की अनुमति होगी। तथापि, यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि एक दिन में कुल प्रसारण का कम से कम 20 प्रतिशत भाग (24 घंटे के लिए संगणित) उस शहर की स्थानीय भाषा में हो और जिससे स्थानीय विषय-वस्तु का संवर्धन होता हो। इसमें स्थानीय भाषा(ओं)/बोली(यों) में रेडियो जॉकी स्पीकिंग अथवा स्थानीय संस्कृति/परम्परा/लोक संगीत आदि पर केंद्रित कार्यक्रमों अथवा स्थानीय भाषा(ओं)/बोली(यों) में अन्य अनुमत्य कार्यक्रम/विज्ञापन शामिल हो सकते हैं।

किन्हीं दो संस्थाओं को किसी भी श्रेणी के शहरों में अपने किसी चैनल को नेटवर्क करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रश्न सं.21. क्या एफएम चरण-III नीति के अंतर्गत अनुमति को वापस लने की अनुमति है?

उत्तरः अनुमति धारक सरकार को तथा सेवा के श्रोताओं सहित सभी संबंधितों/प्रभावित पक्षकारों को इस आशय का एक माह का अग्रिम नोटिस देकर अनुमति को वापस ले सकता है। सरकार को अदा किए गए एकमुश्त प्रवेश शुल्क के संबंध में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि, अनुमति धारक नोटिस अवधि के दौरान प्रसारण की गुणवत्ता के मापदंडों सहित अनुमति से संबंधित सभी बाध्यताओं, निबंधनों और शर्तों का अनुपालन जारी रखेगा और ऐसा न करने पर इसे अनुमति शर्तों की अवमानना माना जाएगा।

अनुमति वापस ले लेने की स्थिति में सरकार (अपने विवेकानुसार) प्रसारण की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए अनुमति धारक के एफएम रेडियो प्रसारण को चैनल की सेवाएं जारी रखने के लिए अपने नियंत्रण में ले सकती है अथवा किसी अन्य पात्र कंपनी को अनुमति दे सकती है। अनुमति धारक नए अनुमति धारक को या सरकार को अनुमति तथा पारस्परिक रूप से सहमत प्रतिपूर्ति के भुगतान पर सेवा को जारी रखने के लिए अनिवार्य और आवश्यक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को सुकर बनाने के लिए बाध्य होगा।

प्रश्न सं.22. अनुमति मंजूरी करार (गोपा) पर हस्ताक्षर कब किए जाने हैं?

उत्तरः देय वार्षिक शुल्क के समय पर भुगतान सहित अनुमति मंजूरी करार (गोपा) में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिए पात्रता की सभी अपेक्षित शर्तों का अनुपालन करने पर तथा चरण-III के नीतिगत दिशानिर्देशों के पैरा 6.1 (क) या (ख) के अनुसार वार्षिक शुल्क के बराबर राशि के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट पर कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करने पर, जैसा भी मामला हो, आशय-पत्र धारक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय निर्धारित फार्मेट में अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय करार पर हस्ताक्षर करने के बाद अनुमति धारक को रेडियो स्टेशन की स्थापना करने,

बेतार प्रचालन लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) प्राप्त करने तथा पैरा 5 में यथा उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर चैनल को प्रचालित करने में सक्षम बनाने हेतु एक अनुमति जारी करेगा।

प्रश्न सं.23. सह-अवस्थिति प्रसारण सुविधाओं के बारे में मुख्य रूप से क्या अनुदेश हैं?

उत्तर: इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या प्रसार भारती की अवसंरचना उपलब्ध है या नहीं, चरण-III के सभी प्रचालकों के लिए सभी शहरों में सह-अवस्थिति प्रसारण सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

ऐसे शहरों में जहां चरण-II का एक रिक्त चैनल है अथवा एक अतिरिक्त चैनल का प्रस्ताव है और बेसिल द्वारा सीटीआई सृजित किया गया है, वहां पहले से चयनित स्थल पर सह-अवस्थिति तथा बेसिल द्वारा पहले से सृजित सीटीआई का उपयोग अनिवार्य होगा।

अन्य शहरों में जहां प्रसार भारती की अवसंरचना उपलब्ध है, वहां सह-अवस्थिति मौजूदा प्रसार भारती टावरों पर पृथक रूप से निर्धारित किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों पर प्रसार भारती की ऐसी मौजूदा सुविधाओं पर होगी। सफल बोलीदाताओं के पास उस शहर के लिए एक कंसोर्टियम बनाने तथा अपेक्षित सीटीआई स्थापित करने का विकल्प होगा। वे ऐसी अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए पारस्परिक रूप से अवसंरचना सहभाजन विधिप्रणाली, वाणिज्यिक राजस्व सहभाजन विधि, सेवा स्तरीय करार और विधिप्रणाली का निर्णय करेंगे।

यदि प्रसार भारती की उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध नहीं है, तो सफल बोलीदाताओं के पास उस शहर के लिए अभिज्ञात सभी ट्रांसमीटरों की सह-अवस्थिति के लिए एक कंसोर्टियम का निर्माण करने और अपेक्षित भूमि व टावर अवसंरचना (एलटीआई) एवं (सीटीआई) की स्थापना करने का एक विकल्प होगा। वे ऐसी अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए पारस्परिक रूप से अवसंरचना सहभाजन विधिप्रणाली, वाणिज्यिक राजस्व सहभाजन विधि, सेवा स्तरीय करार और विधिप्रणाली का निर्णय करेंगे।

प्रश्न सं.24. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा द्वीप समूह क्षेत्रों के लिए कौन-2 से विशेष प्रोत्साहन हैं?

उत्तर:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर(जे ऐंड के) तथा द्वीप समूह क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो प्रसारकों से उस तारीख से जिस तारीख को वार्षिक शुल्क देय होता है और पन्द्रह (15) वर्षों की अनुमति अवधि आरंभ होती है, शुरुआती तीन वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क की आधी दर का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

- मौजूदा प्रचालकों को नए प्रचालकों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाने के लिए इन राज्यों में मौजूदा प्रचालकों के संबंध में दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए संशोधित शुल्क संरचना भी लागू की गई है।
- ऐसे क्षेत्रों में प्रसार भारती की अवसंरचना सदृश श्रेणी के शहरों के लिए पट्टा किराए की राशि की आधी राशि पर उपलब्ध करायी जाएगी।
- किसी संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर आबंटित चैनलों के स्वामित्व की सीमा 15 प्रतिशत के स्तर पर बनाई रखी गई है। तथापि, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूह क्षेत्रों में आबंटित चैनलों को 15 प्रतिशत की राष्ट्रीय सीमा के अतिरिक्त की अनुमति दी जाएगी ताकि ऐसे क्षेत्रों में चैनलों के लिए बोली प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके।

..